

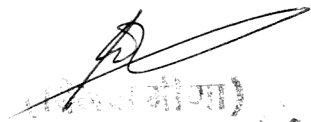
25/02/2020

नजारत अनुविभाग देपालपुर का आवक क्रमांक 182 दिनांक 25/02/2020 के अनुसार माननीय 27 वें अपर सत्र न्यायालय इंदौर के न्यायालय का का जावक क्रमांक 259 दिनांक 24/02/2020 माननीय अपर सत्र न्यायालय इंदौर (माननीय श्री शहाबुद्दीन हाशमी साहब) इंदौर के न्यायालय से बंद लिफाफा प्राप्त।

माननीय 27 वें अपर सत्र न्यायालय से प्राप्त बंद लिफाफा खोलने पर माननीय न्यायालय की न्यायालय दायिक अपील क्रमांक 35/2020 संजय विरुद्ध आरक्षी केन्द्र बेटमा में पारित आदेश दिनांक 24/02/2020 की प्रति सहित प्राप्त।

माननीय 27वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय के दायिक अपील क्रमांक 35/2020 में पारित आदेश दिनांक 24/02/2020 के अनुसार अभियुक्त संजय पिता छोटूलाल विरुद्ध आरक्षी केन्द्र बेटमा में अभियुक्त संजय का आवेदन अंतर्गत धारा 389 दंप्रसं. का स्वीकार कर आदेशित किया गया है कि विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य रूपए 20,000/—अक्षरी बीस हजार की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का प्रस्तुत करने पर कि वह नियत पेशी दिनांक पर इस न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं अपील के निरस्त होने पर दण्डाज्ञा भुगतने के लिए अथवा अपील न्यायालय द्वारा पारित परिवर्तित दण्डादेश भुगतने हेतु न्यायालय में उपस्थित रहेगा तो विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश इस अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया जाता है। आदेश की प्रति मूल विविध आपराधिक प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 12/03/2020 को पेश हो।


(संजय कोषा)
याचिक न्यायालय तथा क्षेत्री
देपालपुर, दिनांक 25/02/2020 (र.प्र.)

25/02/2020

अभियुक्त संजय की ओर से श्री राहुल मालवीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति ज्ञापन सहित शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण आज सुनवाई में लिए जाने तथा अभियुक्त की ओर से माननीय अपील न्यायालय के आदेश के पालन में जमानत प्रस्तुत करने की अनुमति चाही।

अभियुक्त संजय की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदन पर सुना बादविचार आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

माननीय अपील न्यायालय की दाण्डिक अपील क्रमांक 35/2020
में पारित आदेश दिनांक 24/02/2020 के अनुसार अभियुक्त संजय
की ओर से श्री राहुल मालवीय अधिवक्ता द्वारा जमानतदार नाथुलाल
पिता भेराजी उम्र 68 साल निवासी ग्राम कलमेर बडी तहसील हातोद
जिला इंदौर की रूपए 20000/-अक्षरी बीस हजार की जमानत एवं
अभियुक्त का इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत किया गया।
जमानतदार की पहचान श्री राहुल मालवीय अधिवक्ता द्वारा की गई।
जमानतदार पूछताछ उपरांत सक्षम प्रतीत होता है। बाद तर्दीक
जमानत स्वीकार की गई।

विविध आपराधिक प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण मूल
अभिलेख के साथ संलग्न करने हेतु विधिवत अभिलेखागार भेजा जावे।

(निर्णय)
याचिका निवेदन मूल में
स्वायत्त, जिला इंदौर (म.प्र.)

16/02/2020

20/02/2020